न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 91/2019 निर्णय दिनांक :— 21.8.19

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्रम करेडा खुर्द तहसील चाकसू, जयपुर।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

——प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी ने वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादी की स्वयं की कब्जे काश्त एव खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 0.01 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 है। व खसरा नम्बर 82/1037 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 83 रकबा 0.11 है0 , खसरा नम्बर 84 रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 86 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 89 रकबा 0.33 है0 , खसरा नम्बर 90 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.33 हैं0 , खसराः नम्बर 92 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 93 रकबा 0.32, है0 खसरा नम्बर 111 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 963 रकबा [illegible] है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.91 है0 व खसरा नम्बर [illegible] है0 , खसरा नम्बर 48 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 87 रकबा 0.[illegible] है0 , खसरा नम्बर [illegible] रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

0.09 है0 , खसरा नम्बर 101 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 102 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 है , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 105 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 198 रकबा 1.04 है0 , खसरा नम्बर 199 रकबा 0.75 है0 , खसरा नम्बर 501/1032 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 502/1033 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 503/1034 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 507 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 509 रकबा 0.03 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम करेडा खुर्द पटवार हल्का करेडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी का विवादित आराजी में स्वयं का नाम राजेश पुत्र रामकरण राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र रामकरण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिये था तथा वादी का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड , पहचान पत्र , राशन कार्ड में राजेन्द अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम बादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी के पिता रामकरण जी के अनपढ होने के कारण वादी का नाम राजेश राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया तथा जबकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र अंकित होना चाहिये था जिससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम राजेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जगह राजेन्द्र दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी ने वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 29/04/2019 को निकलवाई तब उसको बैंक में दिखाया तो दस्तावेजों व रिकॉर्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालों ने कहा कि पहले तुम नाम दुरस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी अपना नाम राजेश की जगह राजेन्द्र दुरस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वादकारण दिनांक 29/04/2019 को बैंक वालो ने कहा कि आपका नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 0.01 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 है। व खसरा नम्बर 82/1037 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 83 रकबा 0.11 है0 , खसरा नम्बर 84 रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 86 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 89 रकबा 0.33 है0 , खसरा नम्बर 90 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.33 हैं0 , खसरा: नम्बर 92 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 93 रकबा 0.32, है0 खसरा नम्बर 111 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 963 रकबा 0.24 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.91 है0 व खसरा नम्बर 47 रकबा 0.51 है0 , खसरा नम्बर 48 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 87 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 100 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 101 रकबा 0.09 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 है , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 105 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 198 रकबा 1.04 है0 , खसरा नम्बर 199 रकबा 0.75 है0 , खसरा नम्बर 501/1032 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 502/1033 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 503/1034 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 507 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 509 रकबा 0.03 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम करेडा खुर्द पटवार हल्का करेडा खुर्द तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्वयं वादी अपना नाम राजेश के स्थान पर राजेन्द्र दुरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वो राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। अन्य कोई उचित आदेश जो वादी के हित में हो और माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो पारित किये जावें ।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया। कि मद संख्या 1 मुताबिक ग्राम करेडा खुर्द की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 51, 56 तथा 119 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 3 के प्रथम भाग में उक्त खाता संख्या की चालू जमाबंदी में सरजूदेवी पत्नि रामकरण हरिसिंह श्योजीराम राजेश पि० रामकरण कॉम जाट दर्ज है। मुताबिक हमें आम जानकारी तथा सह खातेदाशन सरजूदेवी पत्नि रामकरण हरिसिंह श्योजीराम राजेश पि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रामकरण कॉम जाट के उक्त खातों में का खातेदार राजेश पि0 रामकरण का सही नाम राजेन्द्र पि0 रामकरण कॉम जाट है। मंद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों से सिद्ध करें। शेष कानूनी है। मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 कानूनी है। मद संख्या 7 वादी स्वयं सिद्ध करें।मद संख्या 8 से 9 कानूनी है। मद संख्या 40(क) से 40(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो दावे का समर्थना करते हुये वादी वकील ने दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेश की जगह राजेन्द्र दुरूस्त किया जाना जाहिर किया। वकील वादी ने दावे के समर्थन में नाम शुद्धि किये जाने का प्रार्थना पत्र 21.05.2015 व आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, ड्राईवर लाईसेंस, मूल निवासी प्रमाण पत्र ग्राम करेडा खुर्द की जमाबदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 51, 56, 119 की बतौर सबूत दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका एवं पत्रावली में प्रस्तुत जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादी का नाम उक्त दस्तावेजात में राजेन्द्र तीतरवाल दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में राजेश गलत दर्ज है जो उपरोक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेश के स्थान पर राजेन्द्र दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दावा वादी तहसीलदार की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दावा विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 518 रकबा 0.01 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 है। व खसरा नम्बर 82/1037 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 83 रकबा 0.11 है0 , खसरा नम्बर 84 रकबा 0.15 है0 , खसरा नम्बर 86 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 89 रकबा 0.33 है0 , खसरा नम्बर 90 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.33 है0 , खसराः नम्बर 92 रकबा 0.32 है0 , खसरा नम्बर 93 रकबा 0.32, है0 खसरा नम्बर 111 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 963 रकबा 0.24 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 3.91 है0 व खसरा नम्बर 47 रकबा 0.51 है0 , खसरा नम्बर 48 रकबा 0.50 है0 , खसरा नम्बर 87 रकबा 0.22 है0 , खसरा नम्बर 100 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 101 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 102 रकबा 0.09 है0 , खसरा नम्बर 103 रकबा 0.19 है , खसरा नम्बर 104 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 105 रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 198 रकबा 1.04 है0 , खसरा नम्बर 199 रकबा 0.75 है0 , खसरा नम्बर 501/1032 रकबा 0.08 है0 , खसरा नम्बर 502/1033 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 503/1034 रकबा 0.05 है0 , खसरा नम्बर 507 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 509 रकबा 0.03 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम करेडा खुर्द पटवार हल्का करेडा खुर्द तहसील चाकसू [illegible] जयपुर राज0 में वादी का नाम राजेश के स्थान पर [illegible] दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

राजेश उर्फ राजेन्द्र पिता रामकरण शुद्ध दर्ज किया जावे व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:58:27 IST
Reason: SelfAttested